पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 73 / 2021

दिनांक 01.09.2021

1. रामपाल पुत्र मदुराम जाति बिश्नोई निवासी रोटू तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

प्रार्थना पत्र का विवरण इसप्रकार से है कि विवादित भूमि चक 6 केजेडी वर्तमान चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मु.नं. 122 / 41 के कि.न. 1 से 10 की 10.00 बीघा भूमि प्रार्थी को भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन हुई थी। गिरदावरी संवत 2049—2052 में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से नंदूराम अंकित कर दिया गया। जबकि आवंटन आदेश, गिरदावरी संवत 2045—48 में प्रार्थी के पिता का सही नाम मधुराम दर्ज है।

अदालत द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। आवंटन पत्रावली 778 / 75 के तहत दर्ज हुई आवंटन प्रोसीडिंग्स और निर्णय दिनांक 13.01.77 की पालना में जारी किए गए आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम मदुराम दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक गिरदावरी संवत 2041—44 में विवादित भूमि के सिलसिले में रामलाल पुत्र मदुराम बिश्नोई तहसील जायल पुख्ता आवंटन का नोट अंकित है। गिरदावरी संवत 2045—48 में भी यही प्रविष्टि दर्ज है। गिरदावरी संवत 2049—52 में रामपाल पुत्र नंदूराम अंकित है जो कि गिरदावरी संवत 2049—52 तहरीर करते समय सहवन से लिखा गया है।

इन साक्ष्यों की विवेचना से यह साबित होता है कि विवादित आराजली के सिलसिले में खातेदार के नाम में शुद्धि किया जाना उचित है। इसलिए धारा 136 एलआर एक्ट और 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया जाता है कि विवादित आराजी के सिलसिले में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार रामपाल पुत्र नंदूराम की जगह रामपाल पुत्र मदुराम दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार खाजूवाला इस आदेश के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.21 को स्तर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)